

समक्ष सर्वोच्च न्यायालय, भारत
क्रिमिनल अपील अपीलीय अधिकारिता
क्रिमिनल अपील सं. 395 / 2019
2017 के एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 4560 से उत्पन्न)
साथ में
क्रिमिनल अपील सं. 396 / 2019
खुशबू गुप्ता ... अपीलकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... उत्तरवादी

निर्णय

आर. बानुमथी, न्यायाधीश.

1. इजाजत दी गयी।

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल पुनरीक्षण संख्या 1354 / 2017 में 25.04.2017 को पारित आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिनमें उच्च न्यायालय ने धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपीलकर्ताओं को धारा 302 भा.दं.सं के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन करने के विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है।

3. सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी-1) की बेटी शिल्पा की शादी 26.01.2006 को डिंपल उर्फ आकाश दीप के साथ हुई थी। विवाह से दो बच्चे पैदा हुए। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी 1) के अनुसार, उनकी बेटी शिल्पा अपने ससुराल में पति डिंपल उर्फ आकाश दीप और अपीलकर्ताओं के द्वारा दहेज की मांग के बारे में शिकायत कर रही थी। शिकायतकर्ता साक्षी-1 ने आरोप लगाया कि 19.08.2012 को उनकी बेटी शिल्पा को आग लगा दी गई थी और उसने पूरी चैतन्य अवस्था में उनसे कहा कि चंचल उर्फ बबिता, सचिन, सुनील कुमार गुप्ता (डिंपल के बड़े चाचा), पुष्पा (सुनील कुमार गुप्ता की पत्नी), विकी (सुनील कुमार गुप्ता का बेटा), नीरू, श्रीकांत गुप्ता (सुनील कुमार गुप्ता का भाई), भगवान और खुशबू गुप्ता ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। शिल्पा की मृत्युकालिक कथन तहसीलदार द्वारा 19.08.2012 को 09.40 बजे रात दर्ज की गई, जिसमें उसने कहा कि चंचल उर्फ बबिता ने केरोसिन डाला और उसे आग लगा दी। मृतक शिल्पा ने उसी दिन रात यानी 19.08.2012 को दम तोड़ दिया। सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी 1) द्वारा दर्ज शिकायत पर, अपीलकर्ताओं सहित

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

नौ आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी, 498 ए, 302 भा.दं.सं और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अन्वेषण पूरी होने पर, चंचल उर्फ बबिता (सचिन कुमार की पत्नी) के खिलाफ चार्जशीट धारा 302 भा.दं.सं के तहत दंडनीय अपराध के लिए दायर की गई थी। जहां तक अन्य आरोपियों का संबंध है, आरोप पत्र में कहा गया है कि धारा 498 ए, 304-बी भा.दं.सं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनता था।

4. परीक्षण में, सुधीर कुमार गुप्ता (साक्षी-1), मोहित अग्रवाल (साक्षी-2), और मुनीश गुप्ता (साक्षी-3) की क्रमशः 30.10.2014, 06.11.2015 और 08.11.2015 को परीक्षित किया गया। लगभग एक वर्ष बाद 04.10.2016 को परीक्षण के दौरान, धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन, अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 302 भा.दं.सं के तहत अपीलकर्ता/आरोपी को अपराध के लिए बुलाने की मांग करते हुए यह कहते हुए दायर किया गया था कि उनके नाम एफआईआर में और साक्ष्यों में भी उल्लिखित थे। साक्षी-1 और साक्षी-3 से विचारण न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं, और आवेदन की अनुमति दी, और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत परीक्षण के लिए अपीलकर्ताओं को समन जारी करने का आदेश दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए पुनरीक्षण याचिका को, उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं, और इसलिए, ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है। व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री बसवा प्रभु एस पाटिल ने कहा है कि हालांकि एफआईआर में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया गया था, बाद में उन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान जब चार्जशीट दायर की गई तो समाप्त कर दिया गया, और इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में संविधान पीठ का निर्णय (2014) 3 एससीसी 92, पर विश्वास जताते हुए कहा गया कि धारा 319 दं.प्र.सं. में प्रदत्त अधिकारों को संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां मामले की परिस्थितियां अधिकृत करें कि अभियुक्त को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत बुलाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट के पास धारा 309 भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाने के लिए धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

उपयोग करने के लिए कोई मजबूत और ठोस सबूत नहीं हैं। यह तर्क दिया गया था कि जब मृतक शिल्पा की मृत्युकालिक कथन में केवल चंचल उर्फ बबिता का नाम शामिल है, तो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराधियों को दंडित करने के लिए अपीलकर्ताओं को बुलाने का आदेश नहीं देना चाहिए।

6. प्रतिपक्षी सुश्री रुचि कोहली, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश वकील, ने कहा कि विचारण न्यायालय ने साक्षी -1 और साक्षी-3 के साक्ष्य के आधार पर खुद को संतुष्ट किया कि पत्रावली पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो अपराध में अपीलकर्ताओं की सहापराधिता का संकेत देते हैं, और उच्च न्यायालय ने आरोपी को समन करने के विचारण न्यायालय के आदेश को बाधित न कर सही निर्णय लिया।

7. हमने निवेदनों पर ध्यान से विचार किया है और पत्रावली पर आदेश और अन्य सामग्रियों का अनुशीलन किया है।

8. 19.08.2012 को तहसीलदार द्वारा 09.40 बजे रात्रि में घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई मृत्युकालिक कथन में मृतक शिल्पा ने कहा था कि "उसकी देवरानी चंचल उर्फ बबिता .. और के साथ झगड़ा हुआ था; और यह कि चंचल उर्फ बबिता ने केरोसिन डाला और आग लगा दी "। साक्षी-1 द्वारा अगले दिन यानी 20.08.2012 को दर्ज की गई शिकायत में उन्होंने अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया है। यद्यपि चार्जशीट केवल चंचल उर्फ बबिता के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं के तहत दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने उस स्तर पर कोई विरोध याचिका दायर नहीं की है। साक्षी -1 ने अपने साक्ष्य में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया है कि उनकी बेटी शिल्पा ने अपने चैतन्य अवस्था में उन्हें चंचल उर्फ बबिता सहित सभी अपीलकर्ताओं के नाम बताए थे, और कहा था कि वे उसके ऊपर केरोसिन डालने और आग लगाने के जिम्मेदार हैं।

9. धारा 319 (1) दं.प्र.सं. न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति का अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण में आगे बढ़ने का अधिकार देती है, जिसे अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया जाता है, परन्तु साक्ष्यों के आधार पर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। यह साधारणतया स्थापित है कि धारा 319 दं.प्र.सं. के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से पहले, अदालत को यह समाधान होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य, यदि खण्डित नहीं किये गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है को दोषसिद्ध करेगा।

हरदीप सिंह मामले में, संविधान पीठ ने निम्न विचार रखा है : -

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

"105. धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अधिकार एक विवेकाधीन और असाधारण अधिकार है। यह संयम से और केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इस तरह की गारंटी दें। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय में कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को कारित करने के दोषी हो सकते हैं। जहां एक व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और तर्कपूर्ण साक्ष्य जिसे न्यायलय के समक्ष लाया गया है, मौजूद है, तभी इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि असावधानी और अविचारित तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के सामने लाये गए साक्ष्यों से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, जरूरी नहीं कि वह जिरह की कसौटी पर परीक्षित हो, इसके लिए उसकी सहापराधिता की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। परीक्षण जो लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, जैसा कि चार्ज के निर्धारण के समय प्रयोग किया गया था, लेकिन समाधान में एक हद तक कमी के साथ कि साक्ष्य, यदि अखंडित रह जाता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। इस तरह समाधान के अभाव में, अदालत को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दं.प्र.सं. में दिया गया विधान "यदि यह साक्ष्यों से प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है, परन्तु अपराध किया है" इन शब्दों से स्पष्ट है, "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के साथ परीक्षित किया जा सकता है"। "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है" शब्द प्रयोग नहीं किये गए हैं। इसलिए, धारा 319 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अदालत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वह अभियुक्त के अपराध के प्रति कोई राय बना सके।"

10. सरबजीत सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2009) 16 एससीसी 46 में यह अवलोकन करते हुए कि अदालतों को धारा 319 दं.प्र.सं. के संदर्भ में अपने अधिकारिता और विवेक का प्रयोग करने के लिए कड़े परीक्षण का प्रयोग करें, निम्न विचार रखे गए:—

"21. संहिता की धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक आदेश, केवल इसलिए नहीं पारित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रथम सूचनादाता या साक्षियों में से कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को फंसाना चाहता है। पर्याप्त और तर्कपूर्ण कारणों को अदालत द्वारा नियत जाना चाहिए ताकि प्रावधान के

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

अवयवों को संतुष्ट किया जा सके। केवल अप्रमाणित कथन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। कम से कम असाधारण अधिकारिता के प्रयोग के उद्देश्य के लिए इस तरह के साक्ष्य को संदेह मुक्त होना चाहिए। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, अदालतों को कड़े परीक्षण लागू करने की आवश्यकता है; परीक्षणों में से एक यह है कि क्या रिकॉर्ड पर ऐसा साक्ष्य है, जो उस व्यक्ति, जिसे समन करने की मांग की गई थी, को उचित रूप से दोष सिद्ध करेगा।

22. ... जबकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण आरोप तय करने के स्तर पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हो सकता है, अदालत को समाधान होना चाहिए कि एक ठोस संदेह मौजूद है। संहिता की धारा 227 के संदर्भ में आरोप तय करते समय, अदालत को पत्रावली पर पूरे सामग्री पर एक राय बनाने के लिए विचार करना चाहिए कि साक्ष्य, अगर अखंडित हैं, तो दोषसिद्ध के निर्णय तक ले जाएगा।

23. प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 319 के तहत अधिकारिता का अवलम्ब लेने के उद्देश्य से एक उच्च मानक स्थापित किया जाना है? इन सवालों के जवाब 'हाँ' में दिया जाना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति को एक अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए राय बनाने के उद्देश्य से उच्च मानक नहीं रखे जाते हैं, तब तक उसके अवयव जैसे (1) एक असाधारण मामला होना, और (2) अधिकारिता का अल्प प्रयोग का मामला होना, को संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा।”

11. उपरोक्त सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत मामले में प्रयोग करते हुए, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं को समन करने और धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। जैसा कि पहले बताया गया है, मृत्युकालिक कथन में मृतक शिल्पा ने केवल चंचल उर्फ बबिता के नाम का उल्लेख किया है; लेकिन उसने दूसरों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। अगले दिन यानी 20.08.2012 को पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, सुधीर कुमार गुप्ता, साक्षी 1, ने कहा है कि उनकी बेटी शिल्पा ने उन्हें बताया कि चंचल उर्फ बबिता और अन्य सभी लोगों ने केरोसिन उड़ेलने के बाद उसके ऊपर आग लगा दिया। साक्षी-1 ने न तो अपीलकर्ताओं के नाम बताए हैं और न ही किसी अन्य प्रकट कृत्य को जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह, अदालत के समक्ष अपने साक्ष्यों में, साक्षी-1 और 3 ने केवल यह कहा है कि शिल्पा ने उन्हें बताया कि चंचल उर्फ बबिता और अन्य सभी ने मृतक शिल्पा पर आग लगा दी

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

है। न तो शिकायत और न ही साक्षियों के साक्ष्य अपराध में अपीलकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को इंगित करते हैं और न ही यह कि किस अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को समन करने लिए प्रथम दृष्टया सामग्री प्रस्तुत किया है।

12. धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत, प्रावधानों का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को न केवल उसी अपराध के लिए जिसके लिए अभियुक्त को परीक्षित किया जाता है, बल्कि “किसी भी अपराध” के लिए अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा सकता है; लेकिन यह अपराध ऐसा होना चाहिए जिसके संबंध में सभी अभियुक्तों को एक साथ परीक्षित किया जा सके। यह देखा जाना चाहिए कि क्या अपीलकर्ताओं को धारा 498 ए भा.दं.सं. के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए समन किया जा सकता है। साक्षी-1 के बयान शिकायत में और अदालत के समक्ष दिए साक्ष्य में, दोनों ही साधारण थे कि उन्होंने शिल्पा को अपनी हैसियत के अनुसार पर्याप्त दहेज दिया था और वर पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और वे हर समय दहेज की मांग करते थे। जहाँ तक दहेज की मांग और दहेज उत्पीड़न की बात है, तो कोई विवरण जैसे मांग किस समय की गयी और मांग की प्रकृति क्या थी, नहीं दिया गया है। शिकायत और साक्ष्यों में प्रकथन अस्पष्ट है और किसी भी अपीलकर्ता के मत्थे किसी विशिष्ट मांग को नहीं मढ़ा गया है। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 498 ए भा.दं.सं. के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी अपीलकर्ताओं को समन करने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी बताना उचित होगा कि अन्वेषण के पूरा होने पर, अन्वेषण अधिकारी ने महसूस किया कि धारा 498 ए, 304-बी भा.दं.सं. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। चंचल उर्फ बबिता के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत केवल दंडनीय अपराध के लिए चार्जशीट दायर की गई थी। जैसा कि हरदीप सिंह मामले में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक अभियुक्त को समन करने के लिए उसकी सहापराधिता की संभावना की तुलना में अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नहीं है। हमारे विचारित दृष्टिकोण में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस मामले को अच्छी तरह से तय सिद्धांतों के आलोक में परीक्षित नहीं किया है और प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाता है और इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक नंबर 1, मुरादाबाद सत्र परीक्षण संख्या 3/2013

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।

की प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ायेंगे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

.....न्यायाधीष.

(आर. बानुमथी)

.....न्यायाधीष.

(आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली: 27 फरवरी, 2019

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

स्थानिक भाषा में अनुवादित निर्णय वादकारियों को इसे उनकी अपने भाषा में समझने के सीमित प्रयोग के लिए है इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में दिया गया निर्णय ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी होगा।